न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
03/24/2018	20.12.2018	03.02.2022

बउनवान

1– इसराईल पुत्र स्व० ऐवज खा साहबुद्दीन पुत्र स्व० ऐवज खां
2– साहबुद्दीन पुत्र स्व० ऐवज खां
3–नसरूखां पुत्र स्व० ऐवज खा
4– फजरूद्दीन पुत्र स्व० ऐवज खां
5– अकबर खां पुत्र स्व० ऐवज खा
6.–ताहिर खां पुत्र स्व० ऐवज खां
7–अख्तर पुत्र स्व० ऐवज खां समस्त जातियान मेव समस्त निवासीयान ग्राम चांदूकी तहसील व जिला अलवर राज0 ...

––अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार साहब अलवर बहैसियत लैण्ड होल्डर –

––रेस्पो0

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया प्रा.पत्र. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि साबिक आराजी खसरा नंबर 487 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हाल बंदोबस्त संवत् 2020 के खसरा नंबर 697 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा तथा मौजूदा बंदोबस्त संवत 2051 में खसरा नंबर 797 रकबा 0.27 है0, 798 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर में कायम हुये हैं। विवादित आराजी से अन्य का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। उक्त आराजी सवायाराम पुत्र केवलराम निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर को आवंटनशुदा आराजी थी। जिनके द्वारा विधिवत् तरीक पर खातेदारी प्राप्त करने के उपरांत उपरोक्त आराजी को दिनांक 17.06.1963 को वादीगण के दादा छोटामल पुत्र बोदन मेव को विक्रय कर कब्जा हस्तान्तरित कर दिया। जिनके पक्ष में इन्तकाल संख्या 461 दर्ज वो स्वीकृत किया जा चुका है। इन्तकाल दर्ज होने के उपरांत बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के दादा छोटामल की मृत्यु हो गई। तदोपरांत उनकी विरासत का इन्तकाल संख्या 590 दिनांक 24.06.82 को एवज पुत्र गोखरू जो प्रार्थीगण का पति व पिता है के नाम स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार से प्रार्थीगण विवादित आराजी के काबिज काश्तकार खातेदार हैं। देवीसिंह पुत्र खण्डासिंह का विवादित आराजी से कोई संबंध वो सरोकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

किन्तु खिलाफ कानून, मौका व रिकार्ड हाल बंदोबस्त संवत् 2051 में गलत इन्द्राज हो गया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने अपने अधिकारन्तर्गत न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा पेश कर दिया। सहवन से त्रुटिवश उपरोक्त आराजी का इन्तकाल संख्या 491 वो विरासत इन्तकाल संख्या 590 का निर्णय वो रिकार्ड में इन्द्राज होने के बावजूद उस आधार पर अंकन होने से रह गया जो मात्र त्रुटिवश हुआ है। जबकि उक्त आराजी सवाराम विक्रेता द्वारा पूर्ण कर्जा कीमत अदा करने के उपरांत खातेदार प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 17.06.1963 को पंजीकत दस्तावेज से विक्रय कर दी तथा नियमानुसार वाद जांच व मौका इन्तकाल संख्या 491 व 590 विरासत का स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज हो रहा है। प्रार्थीगण मृतक ऐवज के वारिस काबिज जायदाद हैं तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण नें प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर प्रार्थीगण को इन्तकाल संख्या 491 व 590 मुताबिक राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने के आदेश का अनुतोष चाहा। प्रा.प्रत्र दर्ज रजि. कर तहसीलदार अलवर से रिर्पोट ली गई। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 797 रकवा 0.27 है0, 798 रकवा 0.27 है0 वाके ग्राम तूलेडा गुड्डोकौर पत्नि सोहनसिह हिस्सा– 1/14 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार, गोगीकौर पुत्री बग्गासिह हिस्सा– 1/21 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार, जग्गोकौर पुत्री देवीसिह हिस्सा– 1/7 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार, नाबालिग निशाकौर पुत्री राजूसिह सरंक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा– 1/84 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार प्रेमीकौर पुत्री देवीसिह हिस्सा– 1/7 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार बेबीकौर पुत्री बग्गासिह हिस्सा– 1/21 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार, बाबूसिह पुत्र देवीसिह हिस्सा– 1/7 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार,रानीकौर पुत्री देवीसिह हिस्सा– 1/7 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार,शल्लीकौर पत्नि राजूसिह हिस्सा– 1/84 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार,शीलाकौर पुत्री देवीसिह हिस्सा– 1/7 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार,संजयसिह पुत्र सोहनसिह हिस्सा– 1/14 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार, नाबालिग संदीपसिह पुत्र राजूसिह सरंक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा– 1/84 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार, नाबालिग सिमरनकौर पुत्री राजूसिह सरंक्षक सरपरस्त माता खुद हिस्सा– 1/84 जाति– सिख सा. मूंगस्का गैर खातेदार,दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त भूमि पर इसराइल,फजरू वगैरा,पुत्रान एवेज निवासी चान्दूकी द्वारा सरसों एवं गेहूँ काश्तकर काबिज कब्जेकाश्त है। इन्ही के द्वारा वर्षो से उक्त आराजी पर काश्तकरना अंकित किया है। रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान को न्यायालय द्वारा उपस्थित होने के लिए जरिये अखबार राजस्थान पत्रिका में उज्रदारी जारी किये। तत्पश्चात इस न्यायालय द्वारा उज्रदारी नोटिस क्रमांकः–कोर्ट/21/2599–2600 दिनांक 08.12.2021 जारी करने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नही हुआ। ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब आदि पेश किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट पर मनन किया। पत्रावली तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार अलवर की पूर्व रिपोर्ट क्रमांक 7404 दिनांक 10.10.2016 में तहसीलदार अलवर ने अंकित किया है। कि ग्राम तूलेडा के आराजी खसरा नम्बर 797 रकबा 0.27 है0,

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

98 रकबा 0.27 है0 वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 791 पर देवी सिंह पुत्र खण्डा सिंह निवासी मूंगस्का गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। रजिस्ट्री दिनांक 18.07.1963 के अनुसार ख.न. 687 रकबा 02 बीघा 10 बीस्वा का बेचान सवायाराम पुत्र केवलराम जाति खत्री द्वारा छोटामल पुत्र बोदन मेव निवासी चांदूकी को करना अंकित है।

रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तकरण संख्या 491 दिनांक 23.12.1978 दर्ज होकर स्वीकार किया गया। नामा. संख्या 491 मे दर्ज खसरा नं0 697 का रकबा 2.03 बीघा अंकित है। जबकि रजिस्ट्री में रकवा 2.10 बीघा अंकित हे। तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 590 दिनांक 20.01.1983 किस्म वसीयत दर्ज होकर ऐवज पुत्र गोखरू के नाम स्वीकार हुआ।

वर्तमान रिकोर्ड में दर्ज गैर खातेदारान, बावजूद अखबार तलवी एवं जारी उज्रदारी न्यायालय में उपस्थित नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी जरिये बयनामा क्रय करना अंकित किया है। जिसका इन्तकाल संख्या 491 दर्ज होकर छोटामल पुत्र बोदन मेव निवासी चान्दूकी के नाम खातेदार होना स्वीकार किया है। छोटामल के फोत होने के उपरान्त छोटामल की विरासत इन्तकाल संख्या 590 एवंज के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ। प्रार्थी द्वारा इन्तकाल संख्या 491 एवं विरान्त इन्तकाल संख्या 590 के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का इन्द्राज कराने का अनुतोष चाहा। जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0 अधि0 स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नं0 797 रकबा 0.27 है0, 798 रकवा 0.27 है0, वाके ग्राम तुलेडा में पूर्व के इन्द्राजात को कलमजन किया जाकर उनके स्थान पर प्रार्थीगण 01 लगा. 07 को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर कों पालनार्थ भिजवाई जावे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)